



चलती ट्रेन के पायदान पर खड़े रहकर तथा बाहर झुककर कभी भी यात्रा न करें

यह आपके जीवन के लिए खतरनाक एवं दंडनीय अपराध भी है।

चलती ट्रेन के पायदान पर खड़े रहना तथा बाहर झुकना रेल अधिनियम की धारा 156 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए तीन महीने तक की कैद या ₹ 500/- तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएँ एक साथ हो सकती हैं।



पश्चिम रेलवे

www.wr.indianrailways.gov.in

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें...

इसे साझा करें:  facebook.com/WesternRly

इसे टॉले करें:  twitter.com/WesternRly